भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 382

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत सीएससी और आईएचएचएल का निर्माण

***382. श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः**
श्रीमती भारती पारधीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत विशेषकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आज तक कितने सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) निर्मित किए गए हैं;

(ख) वर्तमान में कितने सीएससी पूर्ण किए गए हैं और विभिन्न राज्यों में इनकी संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) देश में विशेषकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार, मध्य प्रदेश के बालाघाट और भोपाल जिलों तथा शहडोल और सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने गांवों को 'खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्लस' गांव घोषित किया गया है;

(घ) 'ओडीएफ प्लस' गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को लागू किए जाने में क्या प्रगति हुई है,

(ङ) विशेषकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित राज्यवार तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था से कितने गांव सशक्त हुए हैं; और

(च) विशेषकर भिवानी-महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कितने सीएससी और आईएचएचएल निर्मित किए गए हैं तथा कितने गांव 'ओडीएफ प्लस' हैं और उनका ब्यौरा क्या है तथा इन गांवों और छत्तीसगढ़ में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी पहलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 382 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत 24.03.2025 तक महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित देश में निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) और व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-1 में दी गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एसबीएम (जी) के तहत 1,89,977 आईएचएचएल और 625 सीएससी का निर्माण किया गया है। एसबीएम (जी) की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार सूचना उपलब्ध नहीं है। फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एसबीएम (जी) के तहत 6,35,023 आईएचएचएल और 1659 सीएससी का निर्माण किया गया है।

(ग): महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित देश में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत दिनांक 24.03.2025 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किए गए गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-2 में दी गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, भोपाल, शहडोल, सीधी जिले और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में ओडीएफ प्लस घोषित गांवों की संख्या निम्नानुसार है: -

राज्य	**जिला**	**कुल गाँव**	**ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या**			**कुल ओडीएफ प्लस गांव**
			उदीयमान	**उज्ज्वल**	**उत्कृष्ट**	
मध्य प्रदेश	बालाघाट	1246	0	0	1245	1245
मध्य प्रदेश	भोपाल	479	0	0	478	478
मध्य प्रदेश	शहडोल	816	2	0	808	810
मध्य प्रदेश	सीधी	1027	42	0	957	999
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	2634	727	10	1871	2608

(घ) खुले में शौच मुक्त गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) अथवा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) या एसडब्ल्यूएम और एलडब्ल्यूएम दोनों के अंतर्गत कवर किया गया है। दिनांक 24-03-2025 तक, 5,04,757 गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) से कवर किया गया है और 5,22,798 गांवों को ग्रेवाटर प्रबंधन (जीडब्ल्यूएम) से कवर किया गया है।

(ङ): स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत 24.03.2025 तक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के गांवों सहित देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) से कवर किए गए गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-3 में दी गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट और सीधी जिलों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) से कवर किए गए गांवों की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य	जिला	कुल गांव	एसडब्ल्यूएम से कवर किए गए गांवों की संख्या	एलडब्ल्यूएम से कवर किए गए गांवों की संख्या
मध्य प्रदेश	बालाघाट	1246	1245	1245
मध्य प्रदेश	सीधी	1027	999	964

(च): हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जिलों में निर्मित सीएससी और आईएचएचएल तथा ओडीएफ प्लस घोषित गांवों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

जिला	निर्मित सीएससी की संख्या	निर्मित आईएचएचएल की संख्या	ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या			कुल ओडीएफ प्लस गांव
			उदीयमान	उज्ज्वल	उत्कृष्ट	
भिवानी	390	34638	153	2	144	299
महेंद्रगढ़	222	30908	179	0	171	350
गुरुग्राम	204	5914	68	14	81	163

हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरूग्राम जिलों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) के अंतर्गत कवर किए गए गांवों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

जिला	कुल गांव	एसडब्ल्यूएम से कवर किए गए गांवों की संख्या	एलडब्ल्यूएम से कवर किए गए गांवों की संख्या
भिवानी	313	286	177
महेंद्रगढ़	362	172	349
गुरुग्राम	166	130	132

छत्तीसगढ़ राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) के अंतर्गत कवर किए गए गांवों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

राज्य	कुल गांव	एसडब्ल्यूएम से कवर किए गए गांवों की संख्या	एलडब्ल्यूएम से कवर किए गए गांवों की संख्या
छत्तीसगढ़	19,643	17,594	18,714

*****

अनुबंध-1

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 382 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 24.03.2025 तक एसबीएम(जी) के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) और व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मित सीएससी की संख्या	निर्मित आईएचएचएल की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	311	23,021
2	आंध्र प्रदेश	15,102	43,53,826
3	अरुणाचल प्रदेश	3,032	1,54,605
4	असम	4,054	42,10,389
5	बिहार	9,344	1,38,96,521
6	छत्तीसगढ	13,522	35,61,362
7	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	69	21,952
8	गोवा	589	30,361
9	गुजरात	8,039	43,77,727
10	हरियाणा	5,901	7,27,546
11	हिमाचल प्रदेश	5,922	2,25,191
12	जम्मू एवं कश्मीर	5,451	14,06,550
13	झारखंड	1,236	41,93,924
14	कर्नाटक	2,812	50,10,751
15	केरल	1,632	2,52,583
16	लद्दाख	430	22,523
17	लक्षद्वीप	22	0
18	मध्य प्रदेश	19,585	77,45,749
19	महाराष्ट्र	27,436	71,58,464
20	मणिपुर	1,089	2,77,507
21	मेघालय	1,214	3,06,504
22	मिजोरम	653	47,403
23	नागालैंड	1,394	1,50,020
24	ओडिशा	3,077	74,37,799
25	पुदुचेरी	11	29,840
26	पंजाब	6,548	5,66,007
27	राजस्थान	25,170	84,74,037
28	सिक्किम	704	23,926
29	तमिलनाडु	8,350	59,28,086
30	तेलंगाना	6,093	31,27,637
31	त्रिपुरा	463	4,96,066
32	उत्तर प्रदेश	62,187	2,51,99,901
33	उत्तराखंड	2,992	5,43,928
34	पश्चिम बंगाल	9,794	83,95,037
	कुल:-	**2,54,228**	**11,83,76,743**

अनुबंध-2

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 382 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 24.03.2025 तक ओडीएफ प्लस घोषित गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल गांव	ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या			कुल ओडीएफ प्लस गांव
			उदीयमान	उज्ज्वल	उत्कृष्ट	
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	265	0	0	195	195
2	आंध्र प्रदेश	15,995	11,766	88	4,109	15,963
3	अरुणाचल प्रदेश	5,133	3,160	846	947	4,953
4	असम	25,368	4,437	1,376	19,362	25,175
5	बिहार	37,135	2,085	332	32,511	34,928
6	छत्तीसगढ	19,643	1,409	61	17,233	18,703
7	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	98	0	0	94	94
8	गोवा	373	62	2	304	368
9	गुजरात	17,973	3,605	928	13,219	17,752
10	हरियाणा	6,618	3,146	106	3,183	6,435
11	हिमाचल प्रदेश	17,623	1,422	510	14,192	16,124
12	जम्मू एवं कश्मीर	6,216	17	17	5,946	5,980
13	झारखंड	29,322	18,945	513	7,119	26,577
14	कर्नाटक	26,484	20,443	388	5,569	26,400
15	केरल	1,435	6	6	1,369	1,381
16	लद्दाख	240	37	0	203	240
17	लक्षद्वीप	10	0	0	10	10
18	मध्य प्रदेश	51,043	405	6	50,319	50,730
19	महाराष्ट्र	40,247	7,010	182	30,652	37,844
20	मणिपुर	2,556	41	1	26	68
21	मेघालय	6,466	4,729	281	434	5,444
22	मिजोरम	637	0	0	617	617
23	नागालैंड	1,425	400	59	460	919
24	ओडिशा	46,929	1,235	18	43,714	44,967
25	पुदुचेरी	91	53	0	37	90
26	पंजाब	11,977	9,921	92	1,769	11,782
27	राजस्थान	43,463	606	133	41,976	42,715
28	सिक्किम	400	0	0	400	400
29	तमिलनाडु	11,739	2,035	419	8,893	11,347
30	तेलंगाना	9,871	599	2	8,391	8,992
31	त्रिपुरा	765	12	5	738	755
32	उत्तर प्रदेश	96,174	7,164	481	86,684	94,329
33	उत्तराखंड	14,967	51	1	14,840	14,892
34	पश्चिम बंगाल	38,339	5,973	398	30,700	37,071
	कुल:-	**5,87,020**	**1,10,774**	**7,251**	**4,46,215**	**5,64,240**

अनुबंध-3

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 382 के उत्तर के भाग (ङ) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 24.03.2025 तक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) से कवर किए गए गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल गांव	एसडब्ल्यूएम से कवर किए गए गांवों की संख्या	एलडब्ल्यूएम से कवर किए गए गांवों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	265	201	201
2	आंध्र प्रदेश	15,995	15,955	4,649
3	अरुणाचल प्रदेश	5,133	3,373	3,813
4	असम	25,368	21,305	24,928
5	बिहार	37,135	33,501	34,814
6	छत्तीसगढ	19,643	17,594	18,714
7	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	98	94	94
8	गोवा	373	370	317
9	गुजरात	17,973	17,003	16,944
10	हरियाणा	6,618	4,676	5,338
11	हिमाचल प्रदेश	17,623	15,073	15,927
12	जम्मू एवं कश्मीर	6,216	5,979	5,989
13	झारखंड	29,322	8,889	26,487
14	कर्नाटक	26,484	26,401	6,203
15	केरल	1,435	1,381	1,376
16	लद्दाख	240	204	240
17	लक्षद्वीप	10	10	10
18	मध्य प्रदेश	51,043	50,472	50,651
19	महाराष्ट्र	40,247	32,021	37,547
20	मणिपुर	2,556	29	112
21	मेघालय	6,466	843	5,395
22	मिजोरम	637	624	624
23	नागालैंड	1,425	600	866
24	ओडिशा	46,929	44,076	44,931
25	पुदुचेरी	91	90	37
26	पंजाब	11,977	3,816	9,951
27	राजस्थान	43,463	42,536	42,767
28	सिक्किम	400	400	400
29	तमिलनाडु	11,739	11,420	9,524
30	तेलंगाना	9,871	8,993	8,456
31	त्रिपुरा	765	754	760
32	उत्तर प्रदेश	96,174	87,858	94,319
33	उत्तराखंड	14,967	14,887	14,852
34	पश्चिम बंगाल	38,339	33,329	35,562
		5,87,020	**5,04,757**	**5,22,798**